कार्यालय वनमंडलाधिकारी सा० वनमंडल औबेदुल्लागंज

होशंगाबाद रोड औबेदुल्लागंज फोन नं0 07480-224062 फेक्स नं0 07480-224911 email-dfotogunj@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 22 / 0 년

प्रति,

वन संरक्षक

वन वृत्त भोपाल

विषयः

रायसेन जिले के वनमंडल औबेदुल्लागंज अंतर्गत रातापानी अभयारण्य में स्थित वनग्राम नीलगढ़ को विस्थापित कर परिक्षेत्र गौहरगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ.881, पी.एफ.882 एवं आर. एफ.315 एवं आर.एफ.316 में विस्थापित / पुर्नवास किए जाने हेतु 55.00 हे0 वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत उपयोग हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन। ऑनलाइन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/FVC/15156/2022

संदर्भ :

- 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक / 8-04 / 2022-एफ.सी. दिनांक 09.11.22
- 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) म०प्र0भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ—5/ 1118/2022/10—11/3775 दिनांक 10.11.22
- 3. आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 6460 दिनांक 22.11.22

---00---

निवेदन है कि, रायसेन जिले के वनमंडल औबेदुल्लागंज अंतर्गत रातापानी अभयारण्य में स्थित वनग्राम नीलगढ़ को विस्थापित कर परिक्षेत्र गौहरगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ.881, पी.एफ.882 एवं आर.एफ.315 एवं आर.एफ.316 में विस्थापित / पुर्नवास किए जाने हेतु 55.00 हे0 वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत उपयोग किये जाने के प्रकरण में प्रकरण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 09.11.22 के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रदाय की गई प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन / वचन पत्र अधीक्षक रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य औबेदुल्लागंज के द्वारा पत्र क्रमांक 2607 दिनांक 22.12.22 के द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रदाय की गई सैद्धांतिक अनुमित में अधिरोपित शर्तों के पालन हेतु आवेदक अधीक्षक रातापानी अभयारण्य औबेदुल्लागंज द्वारा प्रेषित शर्तवार वचन पत्र/अंडर टेकिंग प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

सा. वनमंडल औ.गंज

वनमङ्लाधिकारी.

औ.गंज / दिनांक,

पृ.क्रमांक / मा.चि. / 22 / प्रतिलिपि :--

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म०प्र०भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) म०प्र०भोपाल की ओर अधीक्षक रातापानी अभयारण्य औबेदुल्लागंज से प्राप्त प्रतिवेदन सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है। संलग्न—उपरोक्तानुसार

3. अधीक्षक रातापानी अभयारण्य औबेदुल्लागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है।

> वनमंडलाधिकारी, सा. वनमंडल औ.गंज

F:/New Ofs Letter 2022.doc

गर्यालय अधीक्षक रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य औबेद्रल्लागंज

Mobile No- 9424790712, E-Mail: sdoratapani@mpforest.org

क्रमाक / 2607 प्रति.

22.12.2022

वनमंडलाधिकारी

सा0 वनमंडल औबेद्ल्लागंज

विषय:

रायसेन जिले के वनमंडल औबेदुल्लागंज अंतर्गत रातापानी अभयारण्य में स्थित वनग्राम नीलगढ को विस्थापित कर परिक्षेत्र गौहरगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ.881, पी.एफ.882 एवं आर.एफ.315 एवं आर.एफ.316 में विस्थापित / पुर्नवास किए जाने हेतु 55.00 हे0 वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव। ऑनलाइन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/FVC/15156/2022

संदर्भ :

आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 6563 दिनांक 16.11.22 एवं प्रधान मुख्य संरक्षक (भू - प्रबंध) म0प्र0भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ-5 / 1118 / 2022 / 10-11 / 3774 दिनांक 10.11.22 तथा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक / 8-04 / 2022-एफ.सी. दिनांक 09.11.22

निवेदन है कि, प्रकरण अंतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा संदर्भित पत्र से रातापानी अभयारण्य में स्थित वनग्राम नीलगढ़ को परिक्षेत्र गौहरगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ.881, पी.एफ.882 एवं आर.एफ.315 एवं आर.एफ.316 में विस्थापित / पुर्नवास किए जाने हेतु 55.00 है0 वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रेषित किये गये प्रस्ताव में प्रथमचरण की सर्शत स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रेषित है :--

Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department and compliance is to be submitted prior to Stage-II approval:

The State Govt. shall submit the documentary evidence/certificate indicating the extent of Nistar/community rights;

वनमंडल औबेदुल्लागंज की निस्तार पत्रिका वर्ष 2022 के अनुसार ग्राम नीलगढ में चराई हेतु वन कक्ष क्रमांक आर.एफ.467 का वन क्षेत्र 359.174 है0 चराई हेतु खुला रखना उल्लेखित है। निस्तार पत्रिका वर्ष 2022 के पृ.क्रमांक 65 की सत्यापित प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

औबेदुल्लागंज के वनमंडल अभयारण्य में स्थित वनग्राम नीलगढ़ के विस्थापन उपरांत कुल 289.731 हे0 वनभूमि रिक्त होगी जिसमें ग्राम नीलगढ़ का क्षेत्रफल 72.481 हे0 एवं ग्रामीणों के निस्तार/चराई हेतू उपयोग की जाने वाली उपरोक्त 359.174 हे0 में 217.25 हे0 क्षेत्र शामिल है।

वनग्राम नीलगढ के रातापानी अभयारण्य से विस्थापन/पुर्नवास हेतु प्रस्तावित स्थल परिक्षेत्र गौहरगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 881, पी.एफ.882, आर.एफ.315 एवं आर.एफ. 316 की प्रस्तावित 55.00 हे0 वनभूमि का कलेक्टर जिला रायसेन द्वारा जारी एफ.आर.

वत्य प्रविक्रिकि

इय वन मण्डलाधिकाडी, खोबेह्रकाचंत,

| 1 | | |
|-----|--|---|
| | | ए.प्रमाण पत्र क्रमांक 4084 दिनांक 22.12.22 परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। वनग्राम नीलगढ़ के विस्थापन/पुर्नवास उपरान्त परिक्षेत्र बिनेका के कक्ष क्रमांक आर.एफ.482, आर.एफ.465, आर.एफ.466, एवं आर.एफ.467 की 289.731 हे0 रिक्त वनभूमि का कलेक्टर जिला रायसेन द्वारा जारी एफ.आर.ए.प्रमाण पत्र क्रमांक 4009 दिनांक 15.12.22 परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। |
| ii | The district collector shelf finished a certificate of non-availability of suitable non forest land for the location of village neelgarh; | कलेक्टर जिला रायसेन के द्वारा पत्र क्रमांक /2245/17—भू—अभि./वर्कलोड/2021 दिनांक 09.12.21 से जारी किया गया, वनग्राम नीलगढ़ के विस्थापन हेतु गैर वनभूमि उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण पत्र परिशिष्ट 4 पर संलग्न है। |
| iii | The correct and complete kml file of the area proposed for diversion shall be uploaded on the e-green watch portal with all requisite details; | व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि की के.एम. एल.फाइल ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड की गई है। |
| iv | The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/). | पालन प्रतिवेदन ई—पोर्टल पर (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की गई है। |
| B: | Conditions which need to be complied on field agency by the state Forest Department but the submitted and compliance is to be submitted properties. Legal status of the diverted forest land may be changed to non-forest land by the state in accordance with Hon'ble Supreme Court order dated 28.01.2019 in IA No. 3924 of 2015 in WP(C) and Ministry's Guidelines dated 20.5.2019; | compliance in form of undertaking shall be for to Stage-II approval: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी. (सी.) 202 / 95 में पारित आदेश दिनांक 28. 1.2019 को आई.ए. नं0 3924 और मंत्रालय के दिशा—निर्देश दिनांक 20.5.19 के अनुसार डायवर्ट होने वाली वनभूमि को गैर वनभूमि में बदला जावेगा। |
| ii | The area to be vacated shall be mutated in the name of forest department and notified as RF/PF under relevant sections of the Indian forest Act, 1927, or the State forest Act as the case may be; | वनग्राम नीलगढ के विस्थापन उपरान्त रिक्त क्षेत्र पूर्व से ही भोपाल रियासत का एलॉन नं0 3 दिनांक 12.1.1916 के तहत आरक्षित वन के रूप में घोषित है। वनग्राम नीलगढ का क्षेत्रफल जैतपूर फॉरेस्ट ब्लॉक में शामिल है। ऐलान की प्रति परिशिष्ठ 5 पर संलग्न है। रातापानी अभयारण्य की प्रबंध योजना वर्ष 2008—09 से 2017—18 तथा इसकी अवधी में मार्च 2023 तक वृधी की गई है, की तालिका क्रमांक 2.9.11.8 में उल्लेखित वनग्राम की सूची परिशिष्ठ 6 पर संलग्न है। यह रिक्त क्षेत्र वनग्राम का क्षेत्र होने से एवं पूर्व से ही आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित होने से पुनः नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। |

| iii | The State government shall ensure that the land vacated in the protected area due to relocation of village will be developed as per approval wildlife management plant/NTCA guideline; | शर्त का पालन किया जावेगा। |
|------|--|---|
| iv | The State Government shall ensure that the relocation package is implemented with due regard to specific court orders and | शर्त का पालन किया जावेगा। |
| | Government norms in the regard; | |
| V | The State Government shall ensure that no fragmentation of forests should take place due to the relocation project; | शर्त का पालन किया जावेगा। |
| vi | The State Government shall ensure that the details of relocation shall be provided to the NTCA for onward legal action/compliance in IA No.3924 of 2015 in WP(C) 202/1995; | शर्त का पालन किया जावेगा। |
| vii | No labour camp Shall be established on the forest land and the user Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest area; | शर्त का पालन किया जावेगा। |
| viii | The State Government shall ensure that as far as possible naturally growing trees are retained along the roads, in the school, other Government/public utility complexes around the boundaries of the proposed village, as natural groves; | प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ों/फलदार वृक्षों को सड़कों के किनारे/स्कूल/ प्रस्तावित ग्राम के बाऊंड्री के आसपास/ आवासीय क्षेत्र के आसपास/अन्य सरकारी एवं सार्वजानिक स्थलों को प्राकृतिक उपवनों के रूप में रखा जावेगा। व्यपवर्तित वनभूमि पर खडे फलदार वृक्षों का पातन नहीं किया जावेगा। |
| ix | The user agency shall export the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be filled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under the supervision of the state Forest Department; | व्यपवर्तित वनभूमि में खडे फलदार वृक्षों को नहीं काटा जावेगा तथा आवश्यकतानुसार ही कृषि क्षेत्र में वृक्ष का पातन किया जावेगा। व्यपवर्तित वनभूमि में खड़े वृक्षों के पातन का कार्य वनमंडल औबेदुल्लागंज द्वारा किया जाता है। |
| х | The user agency shall obtained the environment clearance as per the provisions of the environmental (Protection) Act, 1986, if required; | शर्त का पालन किया जावेगा। |
| xi | The forest land shall not be used for any propose other than that specified in the proposal; | शर्त का पालन किया जावेगा। |
| xii | The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of the concerned divisional forest officer. | शर्त का पालन किया जावेगा। |
| xiii | No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused; | शर्त का पालन किया जावेगा। |
| | | |
| xiv | The user agency Shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the state government, | शर्त का पालन किया जावेगा। |

न्य वन सन्हिला विकासी; भौतेष्ट्रकार्यण,

| 1 | concerned regional office and to this ministry by the end of March every year; | |
|------|---|---------------------------|
| xv | Any other condition that the concerned regional office of this ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation protection and development of forest and wildlife; | |
| xvi | The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court order (s) and NGT order (s) pertaining to this protect, if any, for the time being in force, as applicable to the project; | शर्त का पालन किया जावेगा। |
| xvii | Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of chapter 1 of the handbook of comprehensive guidelines of forest (Conservation) Act, 1980 as issue by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 218.3.2019. | शर्त का पालन किया जावेगा। |

भारत शासन द्वारा ग्राम नीलगढ़ के विस्थापन/पुर्नवास हेतु संदर्भित पत्र से जारी प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। कृपया प्रकरण में अंतिम औपचारिक स्वीकृति जारी कराने का अनुरोध है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार परिशिष्ट 1 से 06


सत्य प्रश्विति

रप वन मण्डलाधिकाधी, वीबेद्रस्थानंख रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य औवदुल्लागंज



चराई के लिए खुला अभ्यारण क्षेत्र (सामान्य) वन मंडल औ.गंज

| अ. क्र. | परिक्षेत्र व नाम | ग्राम का नाम | कक्ष क्रमांक | रकवा (हे.) | |
|---------|------------------|--|--------------|--------------|--|
| 1 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 01 | बिनेका | बिनेका, जैत | RF - 438 | 465.900 | |
| 02 | | लुलका | RF - 439 | 592.400 | |
| 03 | | बोरखाड़ी, डामडोंगरी, बम्होरी | PF - 441 | 273.405 | |
| 04 | | मगरधा | RF - 443 | 514.350 | |
| 05 | | घाट खमरिया, सिवनी, खपरिया खापा | PF - 729 | 105.525 | |
| 733 | | सुल्तानपुर जोड़ | | Berlin Law . | |
| 06 | | रमपुरा, मण्डवा | PF - 726 | 164.025 | |
| 07 | " | बगासपुर, सतधारा, पिपलिया कीर, | RF - 446 | 469.000 | |
| | | पिपरिया खुर्द, काजीहाऊस, चित्तौड़ा | | | |
| 08 | " | सेमरी, सिलारी | RF - 450 | 398.475 | |
| 09 | " | जैतपूर | RF - 462 | 257.675 | |
| 10 | | साजौली | RF - 471 | 313.049 | |
| 11 | " | नीलगढ़, घोड़ा पछाड़, डुंगरिया, चकावाली | RF - 467 | 356.13 | |
| 12 | | धुनवानी, केमवाली, केवलाझिर, मालझिर | RF - 486 | 319.174 | |
| | | पाटनी, झिरपई, कोलापठार, पीपलवानी | | | |
| 13 | " | दांत खो | RF - 477 | 359.174 | |
| | | | योग | 4588.282 | |
| 01 | बाड़ी | बाड़ी, बजीरगंज, पनागर, कमका | PF - 719 | 18.000 | |
| | | दिमाडिया, पारतलाई, घोट एवं नयागांव | | | |
| 1 | | | | 15.000 | |
| 02 | " | पपलई, पांजरा, उदयगिरी, गुलबाड़ा | DE 745 | | |
| 190 | | महका, बिनेका, खमरिया, रिमसिली एवं | PF - 715 | | |
| | | करमवाड़ा | | | |
| | | व्य विश्वा | योग | 33.000 | |



वन सम्पदा की रक्षा कीजिए

65

पाराशिष्ट (2)

FORM-II (for projects other than linear projects) Government of Madhya Pradesh District Level forest Right committee Dist. Raisen (M.P.)

No. 4084

Date. 22/12/2022

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF) Government of India's letter number 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 where in the (MoEF) Issued guidelines on submission of evidences for having initiated and complete the process of settlement of right under the Schedule Tribes and other traditional forest Dwellers (Recognition of forest rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land Proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 55.00 hact, of forest land proposed to be diverted in compartment No PF 881, PF 882, RF 315 and RF 316 in favour of forest Department for Rehabilitation of forest village Neelgarh in Raisen District falls within jurisdiction of Amoda Village in Goharganj tehsil.

It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 55.00 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forest Right Committee(s) Gram (Sabha)(s) are enclosed as annexure-1
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalites/processes under the FRA have been carried our, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion, A Copy of certificate issued by the gram sabha of Amoda villages is enclosed as annexure-1 as above.
- (d) The discussion and decisions on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the member of Gram Sabha present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under Section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it:

(f) The right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl: As Above

वत्य पविक्रिक

क्षेत्र सम्बंधा शिक्षा स्थ

Raisen

पाराशेष्ट 3

FORM-II

(for projects other than linear projects)
Government of Madhya Pradesh
District level forest Rights committee Dist.Raisen (M.P.)

No. 4.50.9.

Date: - 15/12/2022

TO WHOMSOVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC(pt.)dated 3rd August 2009 wherein the MoEF Issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act,2006 (FRA',for short) in the forest Villages,Neelgarh in Ratapani Wildlife sanctuary of Forest Divison (T) Obaidullaganj,for 289.731 Ha.of forest land (comp,no.RF 482, comp.no.RF 465 part, comp.no.RF 466 part and comp.no.RF 467 part 467 part) for Voluntary village Relocation.It is further certified that,

(a) The complete process for indentification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 289.731 hactares of forest area,

proposed for village relocation.

(b) The proposal for village relocation(with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) has been placed before each concerned Gram sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha (s),has certified that all formalities/processes under the FRA has been carried out, and that they have given their consent to the proposed relocation and the compensation and measures.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

(e) The village Relocation process by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;

(f) The forest villages, neelgarh shall be voluntary relocated and all the rights shal be settled as per the voluntary village relocation policy of the NTCA an Government of Madhya Pradesh.

सत्य परिसिधि

रव वन मण्डाका विद्याची, बीवेड्स्वासंब.

-

(Arvind Dubey)

Raisen

पिष्ठिषिट - (2)

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख जिला रायरेक (म.प्र.)

***** :- 07482-223005

E-mail:- slrrai@mp.gov.in

क्रमांक/ 22 45 /17-भू-अभि./वर्कलोड/2021

रायसेन दिनांक 🖰 /12/2021

प्रति.

वनमंड़लाधिकारी सामान्य वनमंडल औबेदुल्लागंज जिला रायसेन (म.प्र.)

विषयः - जिला रायसेन रातापानी वन्य अभ्यारण्य में स्थित वन ग्राम नीलगढ एवं धुनवानी के विस्थापन हेतु राजस्व भूमि उपलब्ध कराने बाबत् ।

संदर्भ:- आपका पत्र कमांक /मा.चि./21/4024/औ.गंज दिनांक 18/10/2021 के संदर्भ में ।

---0---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा वनग्राम नीलगढ एवं धुनवानी के विस्थापन हेतु लगभग 200 हेक्टर कृषि योग्य राजस्व भूमि उपलब्ध होने के संबंध में अवगत कराने अथवा राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रदाय करने का लेख किया है।

आपके द्वारा चाही गई वांछित जानकारी जिले की तहसीलो से प्राप्त की गई। तहसीलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिलें में 200 हेक्टर इकजाई कृषि योग्य राजस्व भूमि

उपलब्ध नहीं है।

जनसङ्ख्या प्रशिक्षा विकास विका

8

रमान नम्बर 3 मुवर्जिएंग 18 क्वारी 1916 ई

मयमून इक्स 26 व्यानुन क्षेत्रस रिकासत भीवात । नै० ।, 1916 ई०। की समराज

के सिधे बंग्लात सरकारी मेस्कूच खास समने जायेंगे।


समम्बुदी जातिया स्वरत क्याँ रवाये रियावत भीपात इव तहरीर के जरिये से स्थाम किया जाता है पि जब तक स्तव शानून छोस रियासत भीपात्वी नं01,1916 हैं0। को गरकारी जैग्ल मस्पूक खास या मस्तूब जाम क्यार, म क्या जावे जैगल मसकूर कानून मसतूर की स्पन्न 26 का जगरास के विधे मस्कूच खास स्पन्ना सावेगा और उसे स्था मस्तूब के बस्ताम मुदारिस्स होते।

यह स्थान स्पून बनसरी सम् 1916 वे नापिन होगा।

हुन्र स्तामुल हुनुमा, नगां वा तियेतेव सा ह्व यहादुर मो हस्मद इस हा क रेयम स्तित्ती

ara utalafa

रव अन मक्खुला विकासी: कीव तुम्ला भावा



पारिकार्ट-6

| परिक्षेत्रवार ग्रामवार | परिवारों, | जनसंख्या | तथा | पशओं | के | आंकडे |
|--|-----------|----------|-------------------------------|---------|-----|-------|
| O PERSONAL PROPERTY AND PERSONAL PROPERTY AN | | | and the state of the state of | . 23-11 | -1- | 01142 |

| | | | गमवार पारवारा, | जनसख्या | तथा पशुओं | के आंक | 3 |
|------------------|---------------------------|------|----------------------------------|------------------|-----------|---------------|-----------------------|
| जिल | | क्र. | ग्राम का नाम | परिवार संख्या | जनसंख्या | पशु संख्या | ग्राम का क्षेत्रफल |
| राय | सेन बरखेड़ | - | बरखेड़ा | 34 | 1606 | 7527 | 117.842 |
| | | 2 | | 52 | 258 | 310 | 159.631 |
| | | 3 | बिनेका(बोरदा) | 168 | 839 | 273 | 187.789 |
| | | 4 | पिपलानी कला | 77 | 385 | 247 | 1256.587 |
| | | 5 | भूतपलासी | 55 | 273 | 174 | 618.493 |
| | | 6 | नासीपुर | 54 | 271 | 262 | 149.943 |
| | | 7 8 | गौतमपुर कालोनी गौतमपुर जौंदरा | 606 | 3030 | 395 | 309.303 |
| | | 9 | करमोदा | 280 | 1400 | 202 | 1155.343 |
| | | 10 | कैरी —चौका | 35 | 175 | 157 | 134.635 |
| | | 11 | पांझिर | 52 | 258 | 310 | 1683.028 |
| | बिनेका | 12 | बिनेका (अंशिक) | 210 | 1049 | 560 | 105.467 |
| | | 13 | डामडोंगरी(अंशिक) | 47 | 234 | 363 | 110.374 |
| | | 14 | बम्हौरी (अंशिक) | 44 | 219 | 270 | 92.769 |
| B. T. | | 15 | घाटखमरियां (अंशिक) | 159 | 796 | 221 | 114.578 |
| | | 16 | मगरघा पिपलिया | 73 | 363 | 324 | 194.33 |
| | | 17 | खपरिया खापा | 145 | 723 | 418 | 288.46 |
| 19-16 | | 18 | मंडवा रमपुरा | 77 | 387 | 224 | 192.51 |
| | | 19 | लुलका | 103 | 515 | 662 | 61.74 |
| The same | | 20 | बोरखाड़ी | 105 | 527 | 684 | 160.16 |
| | | 21 | दांत खो | 09 | 44 | 123 | 108.29 |
| | | 22 | जैतपुर साजौली | 97 | 483 | 632 | 29.35 |
| | ART TO THE REAL PROPERTY. | 24 | नीलगढ़ (वनग्राम) | 32 | 158 | 118 | 45.04 |
| | | 25 | धुनवानी (वनग्राम) | 31 | 157 | 140 | |
| 100 | दाहोद | 26 | करमई | | 107 | 140 | 41.10 |
| | | 27 | बमनई | 108 | 540 | 370 | 338.12 |
| | | 28 | जावरा –मलखार | 295 | 1477 | 691 | 62.34 |
| | | 29 | झिरी –बहेड़ा | 183 | 914 | 639 | 479.72 |
| गिहोर | देलाबाड़ी | 30 | देलाबाड़ी | 40 | 186 | 225 | 26.34 |
| | | 31 | सुरई –ढ़ाबा | 18 | 78 | 115 | |
| | | 32 | मथार (वनग्राम) | 112 | 894 | 1663 | 53.24 220.90 |
| | | | योग | 3301 | 18239 | 18299 | 8487.458 |

तालिका क्र. 2.9.11.8

व सण्डका । जन्म व्योचे द्वारकाश्यक्त

ra utatah

2.13 वर्तमान प्रवेश द्वार :

अभयारण्य में वर्तमान प्रवेश द्वारों की जानकारी तालिका क्रमांक 2.9.11.9 में दर्शाई गई है।

रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य प्रबंध योजना वर्ष 2008-09 से 2017-18 Page 31

12